उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-12/2015/वी0आई0पी045/60-1-15-1/13(102)01 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास विभाग अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त 2010 के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम-2006 (अधिनियम संख्या-33, सन् 2006) द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2000 (अधिनियम संख्या-56, सन् 2000) की धारा-4 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया था।

किशोर न्याय बोर्ड जनपद-लखनऊ में नामित सदस्यगण डा0 रश्मि रस्तोगी एवं दिनेश पाण्डेय के त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड लखनऊ का कार्य बाधित हो रहा है।

अत: तात्कालिकता के दृष्टिगत किशोर न्याय बोर्ड जनपद-बाराबंकी के सदस्यों को एततद्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सप्ताह में 03 दिन जनपद-लखनऊ के केसों के निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

भवदीया

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2015/वी0आई0पी045/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला अधिकारी बाराबंकी/लखनऊ।

2- प्रधान मजिस्टेट, किशोर न्याय बोर्ड बाराबंकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- प्रधान मजिस्टेट, किशोर न्याय बोर्ड मोहान रोड, लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in